भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2014

उत्तर देने की तारीख 28.07.2022

खादी परिधान

2014. **श्री विवेक नारायण शेजवलकर** :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने खादी परिधान के विपणन के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से देश में खादी विकास योजना (केवीवाई) के अंतर्गत खादी परिधानों सहित खादी के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है:

i) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए): केवीआई की इस उप-स्कीम के अंतर्गत, केवीआईसी अवसंरचना विकास और विपणन सहायता के लिए खादी संस्थाओं को बाजार विकास सहायता प्रदान करता है। खादी संस्थाओं और केवीआईसी द्वारा संवर्धित उद्यमियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए केवीआईसी द्वारा प्रचार, प्रसार और प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1175 खादी संस्थाओं को 268.64 करोड़ रु. की राशि की वित्तीय सहायता संवितरित की गई है।

(ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक): इस उप-स्कीम के अंतर्गत, खादी संस्थाएं अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं और उन्हें केवल 4% ब्याज देना होता है और बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज का बाकी हिस्सा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1421 खादी संस्थाओं को 34.11 करोड रु. की राशि संवितरित की गई है।

iii) 'कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता': इस उप-स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं को अपनी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और चयनित खादी बिक्री केंद्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28 खादी संस्थाओं के अवसंरचना विकास पर 3 करोड रुपए की राशि संवितरित की गई है। विपणन सहायता घटक के अंतर्गत, बिक्री केंद्रों के आधुनिकरण के लिए 30 खादी संस्थाओं को 4.02 करोड रु. की राशि संवितरित की गई है।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा खादी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कई कदम उठाए गए हैं और पहलें की गई हैं। ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

* * * * *

अनुबंध

दिनांक 28.07.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2014 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम/ की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

1. खादी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ''खादी मार्क'' अधिसूचित किया गया है।
2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन को सहायता देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को मानद निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) का दर्जा दिया है। अब तक, 2890 खादी संस्थाओं ने निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसकी सदस्यता ली है। केवीआईसी अपनी सहायता प्राप्त संस्थाओं एवं इकाइयों के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है।
3. खादी संस्थाओं के लिए प्रदर्शनियां लगाकर तथा कार्यशालाएं आयोजित करके विदेशी बाजार में व्यवसाय अवसरों को मज़बूत करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाई-अप की व्यवस्था।
4. खादी क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए, केवीआईसी प्रभावी डिजाइन, उत्पाद और भारतीय और वैश्विक बाजार में उच्च गुणवत्ता विभिन्नता वाले खादी उत्पादों के विपणन में खादी संस्थाओं की सहायता के लिए निफ्ट दिल्ली (हब केन्द्र) में निफ्ट, नई दिल्ली और गांधीनगर, कोलकाता, शिलाँग, बेंगलुरू में इसके चार स्पोक की तकनीकी सहायता से खादी उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईके) की स्थापना कर रहा है। परियोजना के अंतर्गत, सीओईके ने एक खादी नॉलेज पोर्टल (केकेपी) का सृजन किया है जिसमें स्केच के साथ डिजाइनों, विनिर्देशों को पुनरावृत्ति के लिए खादी संस्थाओं द्वारा देखने हेतु उपलोड किया जाता है।
5. ''खादी'' की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 04.11.2019 को 11 खादी उत्पादों के लिए प्रथक एचएस कोड आबंटन हेतु सूचित किया है ताकि ब्रांड संरक्षित रहे और हमारे पारंपरिक उत्पादों के अंतराष्ट्रीय व्यापारों का पता लगाया जा सके।
6. केवीआईसी ने घरेलू एवं विदेशी बाजार क्षेत्र में खादी उत्पादों को और प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर नियुक्त किए।
7. केवीआईसी ने विभिन्न अवसरों पर बहुत सी प्रदर्शनियों में खादी उत्पादों की भागीदारी/प्रदर्शन/संवर्धन किया है जिससे केवीआई उत्पादों की गुणवत्ता का प्रदर्शन करने के लिए अवसर और सशक्त मंच मिला है।
8. वर्तमान पीढ़ी की अवश्यकता और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के मद्देनज़र केवीआईसी ने सभी केवीआई उत्पादों की ऑनलाईन बिक्री शुरू कर दी है। वेबसाईट www.ekhadiindia.com, www.khadiindia.gov.in के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को घर पर ही केवीआई उत्पाद उपलब्ध हैं।
9. 14.77 करोड़ रु. मूल्य के खादी पॉलिवस्त्र फैब्रिक की आपूर्ति के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है जिससे इसके 75,000 छात्रों के लिए यूनिफार्म तैयार किए जाएंगे।
10. केवीआई उत्पादों की आपूर्ति हेतु "आत्मनिर्भर भारत" के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्पयुक्त आह्वान पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कैंटीनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
11. रेलवे, डाक विभाग, एयर इंडिया, ओएनजीसी और अन्य सरकारी संगठनों के साथ विपणन टाई-अप किए गए हैं।
12. खादी उत्पादों की दृश्यता और बिक्री में वृद्धि करने के लिए कॉरपोरेट नामतः रेमंड, आदित्य बिड़ला और अरविंद मिल्स के साथ टाई-अप किए गए हैं।
13. केवीआईसी ने बिक्री वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए "फ्रेंचाइज़ स्कीम" शुरू की है।
14. केवीआईसी ने खादी संस्थाओं के कोविड-19 महामारी प्रभावित कारीगरों के आय सृजन कार्यकलाप के रूप में खादी मॉस्कों का उत्पादन शुरू किया है। अब तक, विभिन्न सरकारी कार्यालयों को 7.02 करोड़ रु. मूल्य के 25.86 लाख से अधिक खादी मास्कों की आपूर्ति की गई है। ये जेम पोर्टल और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।